

N.S.S.

No. 1-65/2007-HPU(NSS)-
Office of the Programme Coordinator (NSS)
Himachal Pradesh University, Shimla-5.

To

All the Principals of College(s),
Having NSS Units,
Affiliated to Himachal Pradesh University.

Dated: Shimla-17/005 the, 12th July, 2012.

Subject: **Instructions Regarding Organizing of NSS Special Camps**

Dear Sir/Madam,

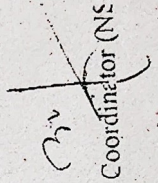
Enclosed please find herewith a letter No. P-3/SC/NSS/RC/Chandigarh/2012-13/173-86 dated 22.6.2012 received from the Youth Officer, NSS Regional Centre, Chandigarh on the subject cited above and to request you to kindly organize the NSS Special Camps in the college(s) strictly in accordance with the above instructions/directions in future under intimation to the undersigned.

Yours faithfully,


(Dr. O.P. Verma)
Programme Coordinator (NSS)

Copy to:

1. The State Liaison Officer (NSS), Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 for information and necessary action.
2. Shri A.K. Sidhu, Youth Officer, NSS Regional Centre, Chandigarh, w.r.t. his letter referred to above.


Programme Coordinator (NSS)

No: 64.
Dt. 24/7/12

Shri: neel Kumar
Programme Officer (NSS) for information
under signed for
and to be sent to
by 17/7/12

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र
केन्द्रीय सदन चौथी मंजिल सैक्टर 9ए
चण्डीगढ़

सं० पी-3 / वि० शि० / रा० से० यो० / क्षेत्रीय कार्या० / चण्डी० / 2012-2013 / 173-26 दिनांक: 22.6.2012

सेवा में,

1. कार्यक्रम समन्वयक, रा० से० यो०
रा० से० यो० से संबंधित समस्त विश्वविद्यालय
पंजाब, हि० प्र०, यूटी० चण्डीगढ़।
2. उच्च शिक्षा निदेशक माध्यमिक
रा० से० यो० से संबंधित समस्त मण्डल
पंजाब, हि० प्र०, यूटी० चण्डीगढ़।

विषय: रा० से० यो० विशेष शिविर आयोजन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे सूचित करना है कि रा० से० यो०-सात दिवसीय दिन-रात शिविरों में निम्न बिन्दुओं के अनुसार विशेष शिविर का आयोजन किया जाना जैसा कि निर्देशिका में वर्णित है:-

1. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व 03 एक दिवसीय शिविर चयनित ग्राम में आयोजित किये जाये, प्रथम एक दिवसीय शिविर में अभिगृहीत क्षेत्र का सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र पर कराया जाये सर्वेक्षण में साक्षरता व स्वच्छता की स्थिति के साथ साथ वृद्धों की समस्याओं, कूड़ा प्रबन्धन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, विकलांग/असहाय महिलाओं की समस्यायें, कुछ रोग, सूखा रोग, गठिया, महिलाओं के चिकित्सा की व्यवस्था, स्वरोजगार की उपलब्धता आदि की जानकारी ली जाये, अन्य एक दिवसीय शिविरों में उक्त समस्याओं में से कतिपय समस्याओं का चयन कर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाये।
2. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व शिविर आयोजन की सूचना महाविद्यालय द्वारा 15 दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप पर 1. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार, चण्डीगढ़ 2. राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशक, रा० से० यो० कोष्ठक विभाग को भेजा जाये। सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्यक्रम अधिकारी एवं महाविद्यालय प्राचार्य के मोबाईल नं० तथा शिविर स्थान तक पहुँचने के मार्ग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए भेजी जाये।
3. विशेष शिविर आयोजन से पूर्व प्रतिभागी स्वयंसेवकों को वैज. जायसी प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। स्वयंसेवक प्रत्येक कार्य दिवस में किये गये कार्यों का उल्लेख करें तथा कार्यक्रम अधिकारी उनके कार्य के सत्यापन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस पर हस्ताक्षर करें।

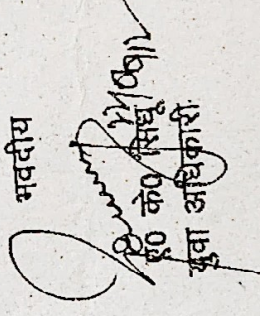
अगला पेज देखें

4. शिविर स्थल पर स्वयंसेवकों के उपस्थिति का रजिस्टर बनाकर रखा जाये तथा प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातः 8.00 बजे व रात्रि 09.00 बजे उनके दो बार हस्ताक्षर कराये जाये ताकि कार्यक्रम अधिकारी को स्वयंसेवकों की संख्या पर समझ न रहे ।
5. विशेष शिविर के प्रोजेक्ट में प्रतिदिन दैनिक कार्यों में मध्याह्न भोजन के बाद एक बौद्धिक गोष्ठी तथा सायं सत्र में भोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाये ।
6. विशेष शिविर स्थल पर स्वयंसेवकों का भोजन व जलपान बनवाया जाये । बाजार से लंच पैकेट, रेडीमेड खाद्य सामग्री का प्रयोग प्रतिबन्धित है ।
7. राष्ट्रीय सेवा योजना की थीम प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे विशेष शिविर के प्रोजेक्ट में रख कर लागू किया जाए ।
8. भारत सरकार के मैन्युअल में विशेष शिविर का आयोजन दिवसीय किये जाने का उल्लेख नहीं है । मात्र लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिवसीय शिविरों का आयोजन मान्य नहीं है । अत्यन्त विशिष्ट परिस्थिति में ही दिवसीय विशेष शिविरों की अनुमति शासन से पूर्व सहमति लेकर दी जाये ।
9. विशेष शिविर आयोजन की सूचना भारत सरकार व राज्य सरकार को शिविर आयोजन से 15 दिन पूर्व दी गयी है की पुष्टि होने पर विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल व प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र द्वारा विशेष शिविर आयोजन हेतु अनुदान चेक द्वारा जारी किया जाये ।
10. ग्राम का चयन महाविद्यालय/कालेज के निकट 08 कि०मी० में किया जाये । ग्राम/मलिन बस्ती कि चयन पर प्राथमिकता दी जाये । शिविर का उद्घाटन व समापन शिविर स्थल पर ही किया जाये । महिला स्वयंसेवकों की स्थिति में यदि शिविर स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा/आवासीय सुविधा न हो तो कार्यक्रम समन्वयक को अवगत कराते हुए महाविद्यालय में आवासीय व्यवस्था की जा सकती है । शिविर स्थल के रूप में दर्शनीय स्थल/पर्यटक स्थल का चयन मान्य नहीं होगा । स्वयंसेवकों को विशेष शिविर के दौरान किसी तीर्थस्थल व अन्य जगह भ्रमण पर ले जाना भी वर्जित है ।
11. विशेष शिविर के आयोजन के पहले दिन स्वयंसेवक प्रत्येक दशा में प्रातः 10.00 बजे तक शिविर स्थल पर पहुँचे । शिविर समापन (सातवें दिन) अपराह्न 4.00 बजे कराया जाये । समापन के बाद स्वयंसेवकों को भोजन आदि कराते हुये शिविर स्थल से विदाई की जाये ।
12. शिविर में सर्वे के आधार पर विशिष्ट लोगों यथा डाक्टर, चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य लाभ हेतु योगा, फीजियोथैरेपिस्ट, नगर निगम, नगरपालिका, रा.से.यो. अधिकारियों, पंचायत के लोगों को बुलाया जाये, सर्वे में प्राप्त विभिन्न कमियों को दूर करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त कराया जाये ।
13. शिविर स्थल पर छात्र पंजीकरण की सूची उपस्थिति पंजी के साथ-साथ अना अभिलेख भी रखे जाये, जिसे निरीक्षण के समय उपलब्ध कराया जाये ।

अगला पेज देखें

14. शिविर स्थल पर शिविरार्थियों के रुकने की संतोषजनक व्यवस्था हो। दूरी, गंदे, दमकल, रस्ताई की व्यवस्था स्वयंसेवक स्वयं करेंगे तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रुन्ही की होगी।
15. निरीक्षण अधिकारी को स्वयंसेवकों के रुकने हेतु सभी सामान व खाने की व्यवस्था उपलब्ध है, दिखाया जाये। निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के दौरान उपस्थित स्वयंसेवकों से हस्ताक्षर कराकर सूची उपलब्ध कराना कार्यक्रम अधिकारी का उत्तरदायित्व है।
16. निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को पूर्णरूप से भरा जायेगा, जित पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाये।
17. सामान्य कार्यक्रम व विशेष शिविर का अनुदान अलग-अलग चेक द्वारा दिया जाये।
18. विशेष शिविर हेतु अनुदान सूचना प्राप्ति के पश्चात एकमुश्त दिया जाय। विशेष शिविर का अनुदान दो किश्तों में दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
19. विशेष शिविर के आयोजन के बाद अंतिम एक दिवसीय शिविर का आयोजन कर पूर्व के समस्त कार्यक्रमों का मूल्यांकन कराया जाये तथा अवशेष रह गये कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाये जिसका अनुसरण रा.से.यो. की रेगुलर गतिविधियों द्वारा पूर्ण किया जाए।
- कृपया उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा इस दिशा-निर्देश की प्रति समस्त महाविद्यालयों/स्कूलों के प्राचार्यों एवं कार्यक्रम अधिकारियों को भेजी जाए।

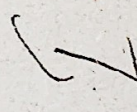
भवदीय



P. K. Singh
१० के० सिधू
युवा अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अवर सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, वाई० एस० ॥१, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. कुलपति समस्त विश्वविद्यालय।
3. राज्य सम्पर्क अधिकारी, पंजाब, हि० प्र०, यूटी० चण्डीगढ़।
4. निदेशक उच्च शिक्षा, पंजाब, हि० प्र०, यूटी० चण्डीगढ़।



१० के० सिधू
युवा अधिकारी